संख्या : 107 /XVII–02/2008–08(33)/2005

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2008

विषयः– राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, अल्मोड़ा के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 1737/स0क0/निर्माण/2006–07 दिनांक 11 अगस्त, 2007 के द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, अल्मोड़ा के भवन निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा गठित रू0 70.50 लाख के आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त कुल रू0 67.24 लाख (रू0 सडसठ लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी। इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 33.62 लाख (रू0 तैंतीस लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।
7. कार्य कराने से पूर्व समुक्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
11. जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
12. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 2047/XI[illegible]–2[illegible](2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

13. उक्त धनराशि का आहरण उतना ही किया जायेगा, जितना 31–3–08 तक व्यय हो सकेगी तथा कार्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ही प्रारम्भ किया जायेगा।

14. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे अपनी निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

15. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

16. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

17. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सुदुपयोग सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

18. तकनीकी परीक्षण के उपरान्त यथा संशोधित औचित्यपूर्ण आगणन की प्रति भी संलग्न की जा रही है।

19. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अधीन लेखाशीर्षक "4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–103–महिला कल्याण–06–किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण–" के मानक मद– "24–वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

21. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 775(P) XXVII(3)/07 दिनांक : 07 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 107/XVII–02/2008–08(33)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
3. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
8. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनुसचिव।